जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद-कन्नौज।

सेवा में,

जे0पी0 एजूकेशन अकादमी ग्राम ऊँचा (इन्द्रानगर) गुरसहायगंज वि0ख0 तालग्राम जनपद कन्नौज ।

पत्रांक / वेसिक / मान्यता / 20018 - 29

/2018-19 दिनांक :- /2 - 02 - 2019

विषय:-नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

आपके आवेदन पत्र दिनांक 27.07.2018 और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मै जे0पी0 एजूकेशन अकादमी ग्राम ऊँचा (इन्द्रानगर) गुरसहायगंज, विठखाठ तालग्राम जनपद कन्नौज को दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.03.2022 तक तीन वर्षों की अविध के लिए पीठजीठ से कक्षा 08 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान किया करने का संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अध्याधीन है।

- 1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2. विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, अधिनियम, 2009 (उपाबंध-1) और नि:शुल्क और अनिवार्य वाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध-2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक पास—पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- 4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5. सोसाइटी / विद्यालय किसी कैंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
- 6. विद्यालय किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :--
- प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
- ॥. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जाएगा।
- III. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
- IV. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले बालक को नियम 25 के अधीन अधिवंचित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
- V. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्ता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेदन दिया जाना।
- VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम, 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु वह यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पाँच वर्ष की अविध के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगा।
- VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
- VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों के नियोजित नहीं करेगें।
  - 7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानको और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है :--
  - (क) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :- 37500 वर्ग फीट
  - (ख) कुल निर्मित क्षेत्र :- 18000 वर्ग फीट

(ग) क्रीडा-स्थल क्यू क्षेत्रफल :-

AMARENDRA SINGH
PRINCIPAL
J. P. EDUCATION ACADEMY
lodra Nagar. Turva Road. Gersahaigan, Kannauj (U.P.)

INDRA KUMAR GUPTA
MANAGER
J. P. EDUCATION ACADEMY
Indra Nagar, Turwa Road, Gursahaigani, Kannauj (U.P.)

(घ) कक्षाओं की संख्या :- 10

हिं फ्रानाच्याएक सह कार्यालय सह माडागार के लिए मेर्स = 04 (च) बालक और बालिकाओं के लिए पृथक् शीचालय = 02 बालक एवं 02 बालिका

- (छ) पेयजल सुविधा :-हैण्डपम्प, समरसेबिल एवं टंकी
- (ज) मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई :-

(झ) बाधारहित पहुंच :-

(স) अध्यापन पठन सामग्री / क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता :- है।

- 9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या विद्यालय के बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई
- 10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक ....... है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ

किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्टे और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शतों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की किमयों को दूर करने के लिए जारी किया

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।

17. विद्यालय प्रबन्ध / न्याय और कर्मचारी वर्ग समय-समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन

18. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य/कोई शर्त।

भवदीय

(दीपिका चतुर्वेदी) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कन्नौज।

/2018-19/तददिनांक! पु०सं० / बेसिक / मान्यता / प्रतिलिपि:--निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र० लखनऊ।

2. सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) कानुपर मण्डल, कानपुर।

सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी / नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद-कन्नौज।

कार्यालय गार्ड फाइल।

AMARENDRA SINGH PRINCIPAL J P EDUCATION ACADEMY Indra Nagar, Turwa Road, Gursahaiganj, Kannauj (U.P.)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

Andra Kun 2 Guph INDRA KUMAR GUPTA

MANAGER J. P. EDUCATION ACADEMY Indra Nagar, Tirwa Road, Gursahaiganj, Kannauj (U.P.)